

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 03/12/25

क रीडर/2025/ 9646  
प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 ओमप्रकाश पुत्र गोर्धनराम 2 कलाराम  
3 जितेन्द्र पिसरान मघाराम 4 टीलाराम  
दाऊराम पिसरान पन्नाराम 6 दिनेश पुत्र  
गोर्धनराम 7 नागजीराम पुत्र आसूराम 8  
पीराराम पुत्र हरूराम 9 बाबूराम पुत्र  
गोर्धनराम 10 मगी देवी पत्नि गोर्धनराम  
11 मांगी देवी पत्नि आसूराम 12 लखाराम  
पुत्र हरूराम 13 हरदास पुत्र रामाराम  
जातियान मेघवाल निवासी आटी तहसील  
व जिला बाड़मेर।

1 किरताराम पुत्र सुजाराम 2 भूराराम जाति राईका  
निवासी भीठडी 3 बाबूसिंह 4 पृथ्वीसिंह पिसरान  
पदमसिंह जाति राजपूत निवासी आटी 5 वनणाराम  
पुत्र 6 भाखराराम पुत्र मानाराम जाति नाई 7  
गोमराराम पुत्र देवाराम जाति राईका 8 खुमाणसिंह  
पुत्र भूरसिंह राजपूत निवासी आटी तहसील व जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-559/2025 दिनांक- 02/12/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आटी पटवार हल्का आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा  
संख्या 40 रकबा 2.3148 हैक्टेयर, खसरा संख्या 43 रकबा 7.1710 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ  
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त  
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के  
जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फराल पर सीमांकन व पत्थरगढी  
नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के गद्देनजर) कर पक्षकारान  
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ  
रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी

बाड़मेर

दिनांक- 03/12/25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9647 - 50

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को गय रिकर्ड उपस्थित रहकर  
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण ओमप्रकाश पुत्र गोर्धनराम वगैरह जातियान मेघवाल निवासी आटी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण किरताराम पुत्र सुजाराम वगैरह जातियान नाई निवासी जातियान गेठवाणी निवासी आटी  
तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर